न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 35/2019

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
विनोद कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति भील निवासी बडगांव तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. खेता पुत्र कृष्ण 2. प्रवीण पुत्र कृष्ण 3. रेवी पुत्री कृष्ण 4. नर्मदा पुत्री कृष्ण 5. झमका पत्नि कृष्ण 6. मृतक कसुंबी पुत्री मूला के का. मू. वारीसान– 6/1 राजू पुत्र कसुंबी 6/2 जेठा पुत्र कसुंबी 6/3 सवा पुत्र कसुंबी 6/4 नर्मदा पुत्री कसुंबी 7. बादली पुत्री मुला 8. धुडा पुत्र दोला कौम भील साकिनान बडगांव तहसील रानीवाडा जिला जालोर 9. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा। 10. अशोक कुमार पुत्र मगनाराम 11. टीना पुत्री जवानाराम 12. नीता पुत्री जवानाराम 13. संगीता पुत्री जवानाराम 14. देवाराम पुत्र जवानाराम जातियान भील निवासी बडगावं 15. कैलाश पुत्र जवानाराम 16. दिनेश पुत्र जवानाराम 17. धोपी पत्नि जवाना जातियान भील निवासीयान रानीवाडा खुर्द 18. सेन्धाराम पुत्र तगारामजी कौम भील साकिन रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा 19. रणजीतकुमार पुत्र कपूराराम जाति भील निवासी बडगावं 20. प्रेमाराम पुत्र पुनमाराम जाति भील निवासी केर तहसील रानीवाडा जिला जालोर

Signature Not Verified

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 का0 अधिनियम 1955

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. वादी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई
2. प्रतिवादी संख्या 10 ,18 व 19 की ओर से अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
3. प्रतिवादी संख्या 20 की ओर से अधिवक्ता श्री वीरबहादूरसिंह देवडा।

—: निर्णय :—

दिनांक 01.02.2022

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक वाद अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बडगांव तहसील रानीवाडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी नवीन खसरा नबंर 2278/387 रकबा 0.06 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 2279/388 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 2280/391 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 391 रकबा 1.49 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 2283/393 रकबा 0.59 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 392 रकबा 0.14 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन जुमले रकबा 2.50 हैक्टर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खेता प्रवीण पिसरान कृष्ण रेवी, नर्मदा पुत्रीया कृष्ण, झमका पत्नि कृष्ण साकिन हेद काला पुत्र धनाजी कौम भील साकिन मेडकखुर्द कसुंबी, बादली पुत्रीया मुला, धुडा पुत्र दोला कौम भील साकिन देह खातेदार दर्ज है तथा जरिये ना. क. सं. 1630 स्वीकृत दिनांक 9.6.2017 (बैचान) के अनुसार काला पुत्र धना की बजाय विनोद पुत्र रमेश कुमार कौम भील साकिन देह खातेदार दर्ज किया गया। खातेदार कसुंबी फौत हो चुकी है। जिसके कायम मुकाम वारीसान प्रतिवादी संख्या 6/1 से 6/4 है। वादी ने दिनांक 15.5.2017 को जरिये बैचान दस्तावेज के बैचानकर्ता काला पुत्र धना जाति भील मेडकखुर्द से उनका उक्त सामलाती खातेदारी आराजी में से संपूर्ण हिस्सा रकबा 0.1376 हैक्टर की खातेदारी आराजी को खरीद किया था। उक्त बैचान दस्तावेज दिनांक 15.05.2017 में खसरा नबंर 387, 388, 391, 392, 393, 496, 497 जुमले रकबा 7.71 हैक्टर के खसरा नबंर की आराजी में से किया था, मगर उसी दरम्यिान न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर रानीवाडा से बंटवाडा का निर्णय हो जाने पर जरिये ना. क. संख्या 1595 दिनांक 8.12.2016 के अनुसार खसरा नबंर 2278/387, 2279/388, 2280/391, 391, 2283/393, 392 जुमले रकबा 2.50 हैक्टर में बैचानकर्ता काला व अन्य सहखातेदारों की अलग से खातेदारी दर्ज हो गई। इसलिये वादी के बैचानकर्ता काला ने मुझ वादी के पक्ष में दिनांक 24.05.2017 को एक पुरक दस्तावेज करवाया। इस प्रकार वादी के बैचानकर्ता काला ने वादी के पक्ष में अपनी संपुर्ण हिस्सा की आराजी रकबा 0.1376 हैक्टर का बैचान किया तथा वादी विनोद कुमार के हक में उक्त बैचान का नामान्तरकरण का इन्द्राज भी हो चुका है। चुंकि वादी का खाता सामलाती होने के कारण वादी अपनी आराजी का अन्य सहखातेदारान से अपना बंट अलग से प्राप्त करना चाहता है। इसलिये वादी की ओर से दावा बाबत् बंटवाडा का पेश है। उपरोक्त विवादीत आराजी खसरा नबंर 2278/387, 2279/388, 2280/391, 391, 2283/393, 392 जुमले रकबा 2.50 हैक्टर में वादी का हिस्सा रकबा 0.1376 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का हिस्सा रकबा 2.362 है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के बीच मौके पर बंटवाडा हो चुका है। वादी का वाद पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार मार्क एक्स स्थान पर काले रंग से दर्शित स्थान पर खसरा नबंर 2283/393 में 0.1376 हैक्टर का कब्जा काश्त वादी का है। उक्त नजरी नक्शा अनुसार मौके पर कब्जे काश्त अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ट्स के आधार पर बंटवाडा करवाना चाहता है। जिस हेतु यह दावा पेश है।
2. विनायवाद सर्वप्रथम उस समय पैदा हुआ जब वादी ने आज से एक माह पुर्व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को कहा कि उक्त आराजी हमारी सामलाती है तथा सामलाती आराजी होने से उक्त आराजी का विकास आदि करने में भारी परेशानी आती है तो प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने से टालमटोल की। तत्पशचात उस

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

समय पैदा हुआ जब आज से 10 दिन पूर्व दिनांक 08.09.2019 को पुनः वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को आपसी सहमति से उक्त विवादीत आराजी का बंटवाडा कराने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने का मना कर दिया तथा कहा कि हम आपसी सहमति से उक्त आराजी का बंटवाडा नहीं करवायेगे तथा तुमने ज्यादा किया तो हम लाठी के बल पर तुम्हें तुम्हारे हिस्से की आराजी से बेदखल कर देगें ज्यादा किया तो हम उक्त आराजी को अजनबी क्रेता को बैचान कर देगें। तत्पश्चात वाद कारण निरन्तर जारी है। अतः उक्त आराजी मौजा बडगांव तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नबंर 2278/387 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 2279/388 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 2280/391 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 391 रकबा 1.49 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 2283/393 रकबा 0.59 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 392 रकबा 0.14 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन जुमले रकबा 2.50 हैक्टर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के बीच मिट्स एण्ड बाउण्डस व मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बंटवाडा किया जाकर वादी को उक्त आराजी में से उसका हिस्सा रकबा 0.1376 हैक्टर आराजी नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार मार्क एक्स स्थान पर काली स्याही से दर्शित स्थान पर अलग बंट में दी जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को भी उसके हिस्सा रकबा 2.362 हैक्टर आराजी उनके कब्जे काश्त अनुसार अलग बंट में दी जावें तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद व लगान के निर्धारण हेतु तहसीलदार रानीवाडा पर तहरीर जारी की जावे। व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि प्रतिवादीगण बाद बंटवाडा वादी के बंट व हिस्से की आराजी में उसके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में न तो स्वयं कोई दखल या बाधा पैदा करे तथा न ही अन्य से कोई बाधा या दखल पैदा करावें।

3. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 7, 11 से 17 की ओर से बाद तामिल समन कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 10, 18, 19 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया व प्रतिवादी संख्या 20 की ओर जवाब दावा व काउन्टर क्लेम का ईकबालिया जवाब पेश किया गया।

4. दिनांक 25.11.2021 को न्यायालय द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार ग्राम बडगांव के खसरा नम्बर 2278/387, 2279/388, 2280/391, 391, 2283/393, 392 कुल रकबा 2.50 हैक्टेयर के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2021/878 दिनांक 06.12.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राज/2022/168 दिनांक 28.01.2022 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

5. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत [illegible] दोनों पक्षों के अधिवक्ता को पढकर सुनाया गया । दोनों पक्षों के अधिव[illegible] सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए [illegible] प्रकट की एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाडा से [illegible] प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी[illegible] के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडें में आया रकबा (है0) में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	विनोद कुमार पुत्र रमेश कुमार कौम भील सा. देह खातेदार	2283/393	0.59	0.1375	बा.दो.	हरा	नियमानुसार
		391	1.49	0.1650	बा.दो.		
2.	प्रेमाराम पुत्र पूनमाराम कौम भील सा. केर खातेदार	2283/393	0.59	0.0920	बा.दो.	नीला	नियमानुसार
		391	1.49	0.0805	बा.दो.		
		391	1.49	0.13	बा.दो.		
3.	अशोककुमार पुत्र मगनाराम हिस्सा 24/35 रणजीतकुमार पुत्र कपूराराम हिस्सा 11/35 कौम भील सा. देह खातेदार	2283/393	0.59	0.0782	बा.दो.	भूरा	नियमानुसार
		391	1.49	0.2243	बा.दो.		
4.	संधाराम पुत्र तगाराम कौम भील सा. रानीवाडा कलां खातेदार	2283/393	0.59	0.2823	बा.दो.	लाल	नियमानुसार
		391	1.49	0.0202	बा.दो.		
5.	धुडा पुत्र दौला कौम भील सा. देह खातेदार	2279/388	0.02	0.02	गै.मू. रास्ता	काला	नियमानुसार
		392	0.14	0.13	गै.मू.		
		2278/387	0.06	0.06	बा.दो.		
		2280/391	0.2	0.2	बा.दो.		
		391	1.49	0.67	बा.दो.		
		391	1.49	0.12	बा.दो.		
6.	विनोदकुमार पुत्र रमेशकुमार कौम भील सा. देह, प्रेमाराम पुत्र पूनमाराम कौम भील सा. केर, अशोककुमार पुत्र मगनाराम, रणजीतकुमार पुत्र कपूराराम कौम भील सा.देह संधाराम पुत्र तगाराम कौम भील सा. रानीवाडा कलां 1/2 धुड़ा पुत्र दौला 1/2 कौम भील सा. देह खातेदार (सामलाती रास्ता उपयोग हेतु)	391	1.49	0.08	बा.दो.	पीला	नियमानुसार
		392	0.14	0.01	गै.मू.		

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

6. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं राजस्व नक्शें में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 01.02.2022 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
विनोद कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति भील निवासी बडगांव तहसील रानीवाडा जिला जालोर	**बनाम**	1. खेता पुत्र कृष्ण 2. प्रवीण पुत्र कृष्ण 3. रेवी पुत्री कृष्ण 4. नर्मदा पुत्री कृष्ण 5. झमका पत्नि कृष्ण 6. मृतक कसुंबी पुत्री मूला के का.मू. वारीसान– 6/1 राजू पुत्र कसुंबी 6/2 जेठा पुत्र कसुंबी 6/3 सवा पुत्र कसुंबी 6/4 नर्मदा पुत्री कसुंबी 7. बादली पुत्री मुला 8. धुडा पुत्र दोला कौम भील साकिनान बडगांव तहसील रानीवाडा जिला जालोर 9. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा। 10. अशोक कुमार पुत्र मगनाराम 11. टीना पुत्री जवानाराम 12. नीता पुत्री जवानाराम 13. संगीता पुत्री जवानाराम 14. देवाराम पुत्र जवानाराम जातियान भील निवासी बडगावं 15. कैलाश पुत्र जवानाराम 16. दिनेश पुत्र जवानाराम 17. धोपी पत्नि जवाना जातियान भील निवासीयान रानीवाडा खुर्द 18. सेन्धाराम पुत्र तगारामजी कौम भील साकिन रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा 19. रणजीतकुमार पुत्र कपूराराम जाति भील निवासी बडगावं 20. प्रेमाराम पुत्र पुनमाराम जाति भील निवासी केर तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 35/2019

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 से [illegible] 17 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 10, 1[illegible] 19 [illegible] ओर से वकील श्री जबराराम पूरोहित व प्रतिवादी संख्या 20 की ओर वकील श्री वीरब[illegible]सिंह देवडा उपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार [illegible] द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच [illegible] अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडें में आया रकबा (है0) में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	विनोद कुमार पुत्र रमेश कुमार कौम भील सा. देह खातेदार	2283/393	0.59	0.1375	बा.दो.	हरा	नियमानुसार
		391	1.49	0.1650	बा.दो.		
2.	प्रेमाराम पुत्र पूनमाराम कौम भील सा. केर खातेदार	2283/393	0.59	0.0920	बा.दो.	नीला	नियमानुसार
		391	1.49	0.0805	बा.दो.		
		391	1.49	0.13	बा.दो.		
3.	अशोककुमार पुत्र मगनाराम हिस्सा 24/35 रणजीतकुमार पुत्र कपूराराम हिस्सा 11/35 कौम भील सा. देह खातेदार	2283/393	0.59	0.0782	बा.दो.	भूरा	नियमानुसार
		391	1.49	0.2243	बा.दो.		
4.	संधाराम पुत्र तगाराम कौम भील सा. रानीवाडा कलां खातेदार	2283/393	0.59	0.2823	बा.दो.	लाल	नियमानुसार
		391	1.49	0.0202	बा.दो.		
5.	धुडा पुत्र दौला कौम भील सा. देह खातेदार	2279/388	0.02	0.02	गै.मू. रास्ता	काला	नियमानुसार
		392	0.14	0.13	गै.मू.		
		2278/387	0.06	0.06	बा.दो.		
		2280/391	0.2	0.2	बा.दो.		
		391	1.49	0.67	बा.दो.		
		391	1.49	0.12	बा.दो.		
6.	विनोदकुमार पुत्र रमेशकुमार कौम भील सा. देह, प्रेमाराम पुत्र पूनमाराम कौम भील सा. केर, अशोककुमार पुत्र मगनाराम, रणजीतकुमार पुत्र कपूराराम कौम भील सा.देह संधाराम पुत्र तगाराम कौम भील सा. रानीवाडा कलां 1/2 धुड़ा पुत्र दौला 1/2 कौम भील सा. देह खातेदार (सामलाती रास्ता उपयोग हेतु)	391	1.49	0.08	बा.दो.	पीला	नियमानुसार
		392	0.14	0.01	गै.मू.		

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं राजस्व नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 01.02.2022 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	2	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	1	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	**मौजाना**	4	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:41:37 IST
Reason: SelfAttested